मुख्यालय ... किये गये है। ... पत्र सूचित किया जाये
पक्षकारान को जारी ... पत्र सूचित किया जाये
पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही ग्राम पंचायत ... को पेश हों।
में दिनांक 18/11/21 को पेश हों।

18/11/21
सहमति विभाजन हो चुका है
पत्रावली खारिज
18/11/21

पत्रावली प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में अभिभाषक विपक्षी डिक्रीदारों ने प्रस्तुत की है। पत्रावली स्वयं सम्मिलित नहीं है। पत्रावली डिक्रीदारों ने पत्र अवलोकन पत्र अंकन कर अवगत कराया गया कि पत्रावली का पूर्व सहोदरान के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है ऐसी स्थिति में पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। अपीलार्थी स्वयं अथवा अधिवक्ता सूचना सम्मिलित नहीं अतः पत्रावली का भी तौर पर डिस्पोज किया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ अपीलार्थी द्वारा स्वयं आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है ऐसी स्थिति में अपील का वाद भी तौर पर डिस्पोज किया जाता है। अपील का वाद अन्तर्गत धारा 53 PCA 1955 के अंतर्गत डिस्पोज किया जाता है। विभाजन के अंतर्गत इन्तकाल पत्रावली विचाराधीन ... अभिलेखागार में ... मनन ... प्रस्तुत ... अभिभाषक डिक्रीदारों के सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vasseta
Date: 2021.11.23 12:41:13 IST
Reason: SelfAttested

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner